शासकीय स्वशासी संस्था महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इंदौर)

Final

कार्यालय दूरभाष क्रमांक 0731–2527383, 2527679
ईमेलः–deanlibrary@gmail.com
फैक्स नंबरः– 0731–2514628
वेबसाईटः–www.mgmmcindore.in

क्रमांक......../स्था/स्वशासी/सु.स्पे./2022 इंदौर दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हेतु सह चिकित्सकीय संवर्ग के स्वीकृत पदों कि अनुसूची प्राप्त होने के पश्चात् एवं म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2–20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 द्वारा प्रथमतः म. प्र. के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेस से उतीर्ण उम्मीदवारों से पद पूर्ति किये जाने के निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक 17624/स्था/अवि/2021 दिनांक 23/10/21 के तारतम्य में म. प्र. के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण अभियार्थियों कि नियुक्ति संभागायुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति स्वशासी संस्था इंदौर से अनुमोदन उपरांत गठित चयन समिति द्वारा चयनित अभियार्थियों को निर्धारित निम्नलिखित वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक निम्नानुसार सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय ,इंदौर में अनंतिम रूप से (प्रोविजनल) पदस्थ किया जाता है।

NO.	NAME OF CANDIDATE	SELECTION CATEGORY	CANDIDATE CATEGORY	POST	PAY SCALE
1	ADARSH CHATURVEDI	UR	UR	RADIOGRAPHER	5200-20200+2800

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी –

1. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात जिला चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा एवं स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
3. म.प्र. शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–9/3/2005/नियम/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5/1/2005/नियम/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
4. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में अनुबंध अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।
5. आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी।
6. सह चिकित्सकीय संवर्गो कि नियुक्ति प्रथम 3 माह के लिए पारिश्रमिक रूपये 10000 पर कि गयी है उनकी 3 माह पश्चात् परीक्षा ली जावेंगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों पर नियुक्त किया जावेंगा ।
7. **म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सी 3–13/2019/3/ एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हें तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70% द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।**
8. आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण–पत्र/अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
9. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अपिव/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।

28/8/22

Scanned with CamScanner

10. आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।

11. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित नही होगी।

12. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण–पत्र, उपाधियॉं एवं अन्य प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ जमा करना होगी तथा मूल प्रतियॉं प्रस्तुत करना होगी।

13. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

14. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय अथवा उपस्थित दिनांक के 3 माह के भीतर सह चिकित्सकीय परिषद का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी सेवायें स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।

15. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।

16. संबंधित का कार्य व व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

17. शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तो में परिवर्तन किये जा सकते है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तो में भी हो सकता है।

18. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।

19. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बावद् प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण–पत्र, दो सेवा पुस्तिका तथा रू. 3/– का ट्रैजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।

20. आपको न्यूनतम 3 वर्ष की सेवायें देने हेतु **अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र** निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर आपको 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

21. आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में यदि भविष्य में किसी भी तरह की कोई शिकायत/आपत्ति प्राप्त होने पर जाँच के पश्चात शिकायत सही पाये जाने पर आपकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

22. संबंधित को नियुक्ति हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(डॉ संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गां.स्मृ.चिकि.महावि.एवं संबंद्ध चिकित्सालय
(स्वशासी संस्था), इंदौर

पृ. क्रमांक/16168-75/स्था/स्वशासी/S.S.H./2022 इंदौर,दिनांक 13/10/22

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल।
3 आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर।
4 लेखा शाखा, स्थानीय कार्यालय, इन्दौर।
5 प्रभारी अधिकारी, सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल इंदौर।
6 सिविल सर्जन, मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय इंदौर।
7 संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8 कार्यालय आदेश नस्ति।

(डॉ संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गां.स्मृ.चिकि.महावि.एवं संबंद्ध चिकित्सालय
(स्वशासी संस्था), इंदौर

29.8.22

Scanned with CamScanner